

तारीख: 22-01-2015

आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का निम्न प्रकार से गठन किया गया है:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. श्रीमती सुमन बारा, उप सचिव | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री ए.बी. आचार्य, अवर सचिव | - | सदस्य |
| 3. श्रीमती पदमा राठी, अवर सचिव | - | सदस्य |
| 4. कु. मृगनयनी पाण्डेय, सहायक निदेशक | - | सदस्य |
| 5. सेंटर फॉर सोशल रिसर्च (गैर सरकारी संस्था), नई दिल्ली से एक महिला प्रतिनिधि। | - | सदस्य |

यह समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार बैठक और कार्य करेगी। समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक होगा।

यह सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं.23034899

प्रतिलिपि:

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण।
2. डॉ. रंजना कुमार, निदेशक, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समिति के सदस्य के रूप में सीएसआर से एक प्रतिनिधि नामित करने और उनका ब्यौरेवार पता इत्यादि भेजने का कष्ट करें।
3. महिला और बाल विकास मंत्रालय (श्री वी.एस. यादव, उप सचिव), शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. श्री एस.के. सिन्हा, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. को इस अनुरोध के साथ कि इस सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।